GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

OFF. RESI.
V.C. : 2570450 2570263
REGI. : 2570301 2570882
F.O. : 2572328 2500081

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर–24
KALYANPUR, KANPUR-24

Ref. No.: CSJMU/SC/STCELL/627/2020 Dated 07 /07/2020

अति आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

1. समस्त निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी विश्वविद्यालय परिसर।
2. समस्त निदेशक / प्राचार्य / प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय।

विषयः **छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में ।**

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशक समाज कल्याण के संलग्न पत्र संख्या सी0–346 / स0क0 / शिक्षा–अ / 3 / 96 / 2020–21 दिनॉक 17.06.2020, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020–21 से छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आधार बेस्ड प्रक्रिया से किया जाना है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि विभाग / महाविद्यालय में अध्ययनरत / प्रवेशित छात्रों का आधार बैंक खाते से लिंक कराये जाने के सम्बन्ध में निदेशक समाज कल्याण के निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

1. सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिये, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नही हैं उन्हे प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिये।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत / निजी / ग्रामीण बैंक में खुले बैक खातों से लिंक / सीड करा लेना चाहिये।
3. हाई–स्कूल अंक पत्र / प्रमाण पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता–पिता / पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता / पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिये।
4. हाई–स्कूल अंक पत्र / प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिये।
5. आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिये।

यदि किसी विद्यार्थी का आवेदन / भुगतान बैंक से आधार लिंक न होने के कारण छूट जाता है अथवा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति नही हो पाती है तो उसके लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नही होगा।

संलग्नकः– निदेशक समाज कल्याण के पत्रांक संख्या सी0–346 / स0क0 / शिक्षा–अ / 3 / 96 / 2020–21 दिनॉक 17.06.2020, के पत्र की छाया प्रति।

भवदीय

(डा0 अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या- C 346 / स0क0 / शिक्षा-अ / 3 / 96 / 2020-21

लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 2020

विषय-:छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को सम्बोधित व आपको तथा समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 को पृष्ठांकित निदेशालय पत्रांक सी0-487 दिनांक 16-05-2019, पत्रांक सी0-580 दिनांक 23-05-2019, पत्रांक 3460-62 दिनांक 13-12-2019, पत्रांक सी0-4630 दिनांक 03-01-2020 तथा चतुर्थ अनुस्मारक पत्रांक सी0-5814 दिनांक 02-03-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आनलाइन मिलान किया जायेगा। यदि उक्त डाटा का मिलान होता है तभी छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से अग्रसारित होगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकते हैं जिनके शुद्धिकरण कराये जाने की आवश्यकता छात्रों को होगी। इस सम्बन्ध में छात्रों, उनके माता-पिता व शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाना है ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है तो उसको सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से शुद्ध करा लें।

3- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर आनलाइन वेरीफिकेशन के पश्चात सब्मिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया भी इस वर्ष से प्रारम्भ की जायेगी। आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि अंतरित की जायेगी। छात्रों का बैंक खाता जिस बैंक में खुला होगा वह बैंक पी0एफ0एम0एस0 से मैप होना चाहिये।

4- छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के

उपरांत आवेदन पत्र सब्मिट किया जा सकेगा। आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित होगी। यदि आधार नम्बर से अभ्यर्थी का कोई बैंक खाता लिंक नहीं है तो छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार सम्भव नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना है :-

1- सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिये, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिये।

2- जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध हैं वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिये।

3- हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता-पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता-पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिये।

4- हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिये।

5- आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्यों के कियान्वयन हेतु जनपद के समस्त केन्द्रीय/राज्य/डीम्ड/निजी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों एवं समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थाओं के निदेशक/संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

/

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3

2- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों को निर्देशित करें।

Bal Kr

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक